बिहार सरकार

समाहरणालय रोहतास

(जिला पशुपालन कार्यालय)

निविदा संख्या – 01 /2023–2024 (चारा)

रोहतास जिलान्तर्गत आसन्न बाढ़/सुखाड़ में पशु चारा (गेंहू भूसा/पुआल कुट्टी/दाना) की आपूर्ति हेतु उत्पादक/भंडारकर्ता/उप भंडारकर्ता/पंजीकृत थोक बिक्रेता से सीलबंद निविदा वर्ष 2023–24 के लिए आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 26 अप्रैल 2023 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक जिला पशुपालन कार्यालय, रोहतास में प्राप्त की जाएगी। निविदा को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा क्रय समिति के द्वारा 26 अप्रैल 2023 अपराहन 03:00 बजे खोला जाएगा एवं प्रतिष्ठान (दर सहित) का चयन किया जायेगा।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईड www.state.bihar.gov.in/ahd पर देखा जा सकता हैं।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
रोहतास (सासाराम)

जिला पदाधिकारी
रोहतास (सासाराम)

बिहार सरकार
समाहरणालय रोहतास
कार्यालय–जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास
निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ़/सुखाड़) की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2023–24 में रोहतास जिला अन्तर्गत बाढ/सुखाड़ प्रभावित प्रखण्ड़ों में प्रभावित पशुओं के लिए सुखा चारा (गेहुँ का भूसा, नेवारी कुट्टी एवं पशु दाना) क्रय के लिए दर एवं आपूर्तिकर्ता के निर्धारण हेतु सीलबन्द दो लिफाफों में निविदा आमंत्रित की जाती है। एक लिफाफा में तकनीकी एवं दूसरे लिफाफा में वित्तीय निविदा रहेगा। दोनों सीलबन्द लिफाफो को एक बड़े लिफाफा में सीलबन्द कर प्रस्तुत करना होगा।

तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा को खोली जाएगी। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 26.04.2023 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक होगी। निविदा दिनांक 26.04.2023 को अपराहन 03:00 बजे उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम के कक्ष में खोला जाएगा जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी प्राप्त निविदा खोलने का कार्य किया जा सकेगा। सुखा चारा यथा गेंहूँ का भूसा, नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा एवं भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाएगा।

निविदा की तकनीकी शर्तें:–

1. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 2000.00 (दो हजार) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के पक्ष में) जमा करना अनिवार्य हैं।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सूखा चारा यथा गेहूँ भूसा, नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना का अलग–अलग 200–200 ग्राम नमूना के रूप में पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में सीलबन्द कर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को बिहार या बिहार से बाहर काली सूची में दर्ज नही होने एवं निविदा के सभी शर्ते मंजुर होनें का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा की सामान्य शर्ते (वित्तीय) :–

1. निविदा में सुखा चारा यथा गेहूँ भूसा, नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना का प्रति क्विंटल दर अंकित रहना अनिवार्य हैं। आपूर्ति आदेश में अंकित स्थान (रोहतास जिलान्तर्गत) तक पहुँचाने का परिवहन लागत सहित अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगी।
2. सुखा चारा यथा गेहूँ भूसा, नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना निविदा के साथ जमा किए गए नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
3. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात अविलम्ब पशु चारा यथा गेहूँ भूसा, नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएगें। आपूर्ति नही करने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण/एक वर्ष (दोनों में से जो पहले हो) तक के लिए प्रभावी मानी जायेगी।
5. आपूर्ति आदेश के अनुसार सुखा चारा यथा गेहूँ भूसा, नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना की आपूर्ति करने की सूचना पूर्व में दे देनी होगी।
6. एक से अधिक निविदादाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा सूचना विभागीय वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/ahd पर देखी जा सकती है तथा विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, रोहतास से प्राप्त की जा सकती है।

03/04/23

जिला पशुपालन पदाधिकारी
रोहतास, (सासाराम)

03/04/23

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम